न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... मु० नं० 159/2...
कजोड़ी v/s बाबूलाल वगै० (दावा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दस्तावेजों का अवलोकन, नजीरों अवलोकन किया जाकर शा. पत्रा। गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ 26.6.19 को पेश हो। [signature]
26.6.19	पत्रावली पेश। वकुलाय फरीकैन ... समयाभाव के कारण पत्रावली पूर्व आ... नुसार दि. 03/07/2019 को पेश हो। [signature]
03 07/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थि... प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते प्रकरण में आदेश नही लिखवाया जा सका। अत: वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 05 07/19 को पेश हो। [signature]
05 07/19	पत्रावली आज वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में प्रा० पत्र अन्तर्गत O.7, R.11 CPC पर बहस वकुलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी (प्रा० पत्र O.7, R.11 CPC) ने तर्क प्रस्तुत किये कि वर्ष 2007 में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर, खण्डेला में उनवानी प्रकरण बाबूलाल ~~व अ०~~ बनाम गोकु व अन्य दावा पेश हुआ, जिसमे वादिया को विवादित आराजी बाबत स्व० भैंरुराम द्वारा अपनी सम्पति दिनांक 07/05/1979 को प्रतिवादी सं० 2 को वसीयत कर दिये जाने तथा स्व० सुखराम द्वारा प्रतिवादी सं० 1 को गोद लिये जाने के तथ्य की जानकारी थी, जिसको आज तक

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

[signature]

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
वादिया द्वारा कहीं challange नहीं किया गया है। उक्त वसीयत एवं गोदनामे के संबंध में वादिया की माँ का शपथ-पत्र दिनांकित 30/04/2007 भी उक्त तथ्य की ताईद करता है। स्वयं वादिया ने भी पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर, छबड़ा में विचाराधीन वाद में प्रतिवादी सं० 1 को दत्तक पुत्र मानते हुए ग्रा० पं० द्वारा जारी वारिसनामा पेश किया। यदि वादिया उक्त वसीयत/गोदनामें को challange करना चाह रही है, तो civil court में चाराजोही करें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र O.7, R.11 CPC स्वीकार कर, दावा खारिज फरमाया जावे।	
वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील वादिया ने बरखिलाफ बहस दलील प्रस्तुत की, कि वादपत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर क्षेत्राधिकार तय होता है न कि प्रतिवादी के कथनों/जवाब दावे पर। वादिया का दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 में सभी दावें एवं प्रार्थना-पत्रों के क्षेत्राधिकार का वर्णन है, जिसके तहत ही वादिया द्वारा दावा पेश किया गया है। वकील प्रतिपक्ष द्वारा तथाकथित वसीयत व गोदनामा valid है अथवा नहीं, यह अलग विषय है। विवादित कृषि भूमि पैतृक है जिसकी वसीयत होना वकील प्रतिपक्ष बता रहें हैं। जबकि धारा 40 R.T. Act के अनुसार पुत्र को जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति में हक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मृतक भैंकराम के पुत्र जगदीश को जन्म से ही विवादित भूमि में हक प्राप्त हो गया था, जिसकी वसीयत भैंकराम द्वारा करना वादिया अभिकथित कर रही है। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा भरी गई ITR में प्रतिवादी सं० 1 का दत्तक पुत्र सुखराम होना अंकित नहीं है। दिनांक 03/04/2000 को एक अनुबंध पत्र लिखा हुआ है, जिसमें भी प्रतिवादी सं० 1 को दत्तक पुत्र होना वर्णित नहीं किया गया है।	

Scanned by CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुकम	
	वर्ष 1976 में सुखराम की मृत्यु पर सरपंच सरपंच से साज कर दिनांक 19/06/1976 को ग्रा० पं० में Succession हेतु प्रस्ताव पास करवा कर गलत नामान्तरकरण उक्त विवादित भूमियों बाबत भरवा लिया गया, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर के अनुसार ग्रा० पं० द्वारा भरे गये नामान्तरकरण का कोई महत्व नहीं है। अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत O.7, R.11 CPC भारी Cost के साथ खारिज फरमाया जावे।
	पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं माननीय उच्चस्थ न्यायालयों की नजीरों का अवलोकन किया गया तथा वकुलाय उभय पक्ष द्वारा वर-वक्त बहस प्रस्तुत की गई दलीलों पर मनन किया गया।
	चूंकि वादिया ने प्रश्नगत भूमियों बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती रिकॉर्ड का दावा दिनांक 07/05/1979 को मृतक भैंरू द्वारा निष्पादित वसीयत को challange करते हुए पेश किया है। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाकर खातेदारी दर्ज हो चुकी है। वादिया उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर शून्य घोषित करवाये, क्योंकि न्यायालय हाजा को वसीयत को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी ओर वसीयतकर्ता भैंरू द्वारा वसीयत की गई भूमि, उसकी पुश्तैनी भूमि थी या नहीं इस तथ्य को वादपत्र में कहीं भी अभिकथित नही किया गया है तथा न ही उक्त वसीयती भूमि पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादपत्र के साथ संलग्न किया गया है।
	→ माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने (भूपेन्द्र भाई हसमुख भाई बनाम सावित्री

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
बेन गेनूमल कृष्मानी AIR 2011 गुज० 42 में यह अभिनिर्धारित किया है कि, "यह दर्शित करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है कि वादग्रस्त भूमि दस्तावेजी साक्ष्य को देखने पर पूर्वजी हो। अतः वाद निरस्त योग्य है।"	
माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त तथा वादिया द्वारा अपने वादपत्र में विवादित भूमि वसीयकर्त्ता की पैतृक भूमि होना अभिकथित नही करने एवं विवादित भूमि का वसीयतकर्त्ता भैंरू की पैतृक भूमि होने का कोई साक्ष्य (दस्तावेजी) वादपत्र के साथ संलग्न नही करने के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि पर न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार नही पाया जाने पर, प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07, नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
05/07/19	
उपखण्ड अधिकारी झुन्झेला (सीकर)	